

19.7.21

वकील जलियाली उपाख्येन) वाडीगण एवं उनके  
वकील उपाख्येन नही। वाडीगण को कई बार  
आवाज लगाई गई। कोई हाजिर जवाब नही

आया। अतः इन वाडीगण अरुम हाजिरी व  
अरुम फेरवी के खारेज किया जाता है।  
प्रधान को संलग्न होकर शाखिले उपर

है।  
२७  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज.)